



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 4)

पटना, सोमवार, 2 जनवरी 2012

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

19 अक्टूबर 2011

सं0 1/सह.स्था. (2) नियमावली-03/2006-4677—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग की भर्ती एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

अध्याय - I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**—(1) यह नियमावली बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य के अंतर्गत होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**— इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(2) 'कोटि' से अभिप्रेत है वेतनमान के अनुरूप पदों की कोटि जो सेवा में विनिश्चित हो;

(3) 'निबंधक, सहयोग समितियाँ' से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6 के अधीन बिहार-राज्यपाल द्वारा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के पद पर नियुक्त व्यक्ति या/तथा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-8 के अधीन स्वावलम्बी सहकारी समिति का निबंधक।

(4) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है नियमावली से उपाबद्ध 'परिशिष्ट';

(5) 'बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा' से अभिप्रेत है राज्य की सहकारिता सेवा;

(6) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(7) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(8) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष;

(9) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का सहकारिता विभाग;

(10) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

- (11) 'संवर्गीय पद बल' से अभिप्रेत है इस सेवा के लिए सरकार के अधीन स्वीकृत पदों की संख्या, जिसमें नवसृजित सरकारी पद स्वतः पद सृजन की तिथि से जुट जायेंगे और किसी संवर्गीय पद की समाप्ति या अन्य पदों की सुषुप्तावस्था में रखने के आदेश की तिथि से ये पद स्वतः घट जायेंगे;
- (12) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार; तथा
- (13) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा।
3. **सेवा एवं संवर्ग का गठन।**—(1) संवर्ग का गठन परिशिष्ट - 'क' में उल्लिखित कोटि के लिए चिह्नित पदों को मिलाकर होगा।
- (2) सेवा के अधीन प्रतिनियुक्ति एवं गैर-संवर्गीय कोटि पद संख्या और संरचना का अवधारण विभाग द्वारा सामान्यतः प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा समीक्षोपरांत की गयी अनुशंसा पर किया जाएगा -
- | | | |
|---|---|-----------------|
| (क) प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग | — | अध्यक्ष |
| (ख) उद्योग विभाग द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से
अन्यून स्तर के पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (ग) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव
से अन्यून स्तर के पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (ङ) वित्त आयुक्त द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से
अन्यून स्तर के पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (च) सहकारिता विभाग के राजपत्रित स्थापना के वरीय
प्रभार का पदाधिकारी | — | संयोजक-सह-सदस्य |
- (3) (i) समिति सेवा के पदों की संख्या और संरचना पर विचार में इस तथ्य का ख्याल रखेगी कि एक ही पद किसी अन्य सेवा/संवर्ग द्वारा धारित न किया जाता हो अथवा गैर-संवर्गीय पद धारण पर वेतनादि लाभ का भुगतान बाधित न हो और अन्य सेवा/संवर्ग नियमावली के उपबंधों को समन्वित करने का प्रयास करेगी।
- (ii) इस प्रकार गठित सेवा के पदों की संख्या एवं संरचना की अवधारण विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर किया जाएगा।
4. यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा सहकारिता विभाग इस सेवा का नियंत्रि विभाग होगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के सदस्य स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।
5. **पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।**— सेवा के सदस्यों को गैर-संवर्गीय चिह्नित पदों के अतिरिक्त राज्य या केन्द्र सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या नियंत्रण वाली सहकारी समिति या निकाय या परियोजना में बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति सरकार द्वारा किया जा सकेगा :
- परन्तु, सेवा के लिए पूर्व अधिसूचित गैर-संवर्गीय चिह्नित पदबल को अपरिवर्तित रखते हुए आवश्यकता महसूस होने पर भी सरकार अचिह्नित गैर-संवर्गीय पद पर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति, पूर्व चिह्नित किसी पद को रिक्त या सुषुप्तावस्था में रखकर, कर सकेगी।

अध्याय - II

नियुक्ति

6. **नियुक्ति।**—(1) सरकार प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को विभिन्न कोटियों में रिक्तियों का निर्धारण करेगी।
- (2) (क) उप नियम-(1) के तहत मूल कोटि में निर्धारित रिक्तियों का 50% पद सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के सदस्यों की प्रोन्नति से नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा तथा 50% पद आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशंसित अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा :
- परन्तु (i) एक समय मूल कोटि के अधिकतम 50% पद ही प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- (ii) मूल कोटि में रिक्तियों की गणना संवर्गीय पदबल के तहत होगी।
- (ख) बिहार सहकारिता सेवा नियमावली, 1975 के नियम-26 के तहत मूल कोटि के 25% रिक्तियों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जानेवाली नियुक्ति के लिये रखे गये रिक्त पदों को इस नियमावली के प्रावधानों के तहत प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा और पूर्व नियमावली के तहत सीधी भर्ती हेतु आयोग को प्रेषित अधियाचनाएँ इस नियमावली से प्रभावित नहीं होंगी।
- (ग) उप नियम (2)(क) तथा (ख) के तहत प्रोन्नति से नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

(3) मूल कोटि से भिन्न उच्चतर कोटि के सभी पद अध्याय-VII में वर्णित नियमों के अधीन निम्नानुसार प्रोन्नति से भरे जायेंगे -

- (i) उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ कोटि में मूल कोटि से,
- (ii) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ कोटि में उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ कोटि से,
- (iii) अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ कोटि में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ कोटि से।

(4) किसी गैर-संवर्गीय पद को किसी खास अवधि के लिए सुषुप्तावस्था में रखने तथा पदों को रिक्त रखने का निर्णय लेने का अधिकार सरकार का होगा।

7. **सीधी भर्ती।** - इस नियमावली में अन्यथा प्रावधान न होने की स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान इस सेवा में सीधी नियुक्ति पर भी लागू होंगे।

अध्याय - III

परिवीक्षा

8. **परिवीक्षा अवधि।** - (1) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए परिवीक्षाधीन होंगे; परन्तु विशेष परिस्थितियों यथा, नियंत्री पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा कार्यकलाप पर प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित करने अथवा सांस्थिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण संतोषप्रद रूप से पूरा नहीं करने पर यह अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, और उनमें कमी से अवगत कराया जाएगा।

(2) यदि सीधी भर्ती का कोई सदस्य परिवीक्षा अवधि की शर्तों को पूरा नहीं करता है या किसी अन्य प्रकार से यथा लगातार दो वर्षों की प्रतिकूल गोपनीय वार्षिक अभ्युक्ति या सेवा स्वच्छ नहीं पाया जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सेवा बिना कारण पृच्छा के समाप्त करने का निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जा सकेगा।

(3) (क) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा मूल कोटि में नियुक्त सदस्य एक वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि में रहेंगे और इस अवधि में असंतोषप्रद सेवा या विभागीय कार्यकलाप पर नियंत्री पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित किये जाने पर परिवीक्षा अवधि छः माह के लिए बढ़ा दी जायेगी, और उनमें कमी से अवगत कराया जाएगा।।

(ख) फिर भी सेवा असंतोषप्रद रहने पर या विभागीय कार्यकलाप के आधार पर प्रतिकूल टिप्पणी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है, तो इन्हें बिना कारण पृच्छा के पूर्व पद पर राज्यपाल द्वारा पदावनत कर दिया जायेगा।

(4) परिवीक्षा अवधि की गणना नियमित सेवा में की जाएगी।

अध्याय - IV

विभागीय परीक्षा

9. **विभागीय परीक्षा।** - (1) सम्पुष्टि के लिए सदस्यों को सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, जिसका आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद), बिहार द्वारा किया जायेगा :

परन्तु दिनांक 01/01/1996 के पूर्व सेवा में नियुक्त सदस्यों को विभागीय परीक्षा से विमुक्ति रहेगी।

(2) दिनांक 31/12/1995 के बाद नियुक्त सदस्यों के 50 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता से विमुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित शर्तों के अधीन की जा सकेगी।

(3) सदस्यों को एक नीलाम पत्र वाद एवं एक अवाई वाद का पूर्ण अभिलेख तैयार करना होगा, जिस पर सेवा सम्पुष्टि के पूर्व सदस्य, राजस्व पर्षद की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(4) दिनांक 31/12/95 के पश्चात नियुक्त सदस्यों को द्वितीय या अगली वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता के उपरान्त ही देय होगी।

(5) तृतीय या अगली वेतनवृद्धि उप-नियम (4) के तहत सदस्यों द्वारा तैयार अभिलेखों में सदस्य, राजस्व पर्षद की स्वीकृति के पश्चात विभागीय परीक्षा में समेकित रूप से उत्तीर्णता घोषित किये जाने पर देय होगी।

(6) इन उप-नियमों के तहत वेतनवृद्धि में रुकावट असंचयात्मक होगा और परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि से आर्थिक लाभ भुगतये होगा।

अध्याय - V

प्रशिक्षण

10. **प्रशिक्षण।** - (1) सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(2) नियम-6 (2)(क) एवं (ख) के तहत प्रोन्नति से सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु कार्य निष्पादन के क्रम में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित किये जाने पर निबंधक, सहयोग समितियाँ छः सप्ताह का अल्पावधि व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे और निबंधक, सहयोग समितियाँ का प्रशिक्षण/अनुभव प्राप्ति पर प्रतिवेदित प्रतिकूल मूल्यांकन का सम्पुष्टि पर कुप्रभाव पड़ेगा और कर्तव्य निर्वहन के योग्य नहीं पाये जाने पर पूर्व पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

- (3) चार सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण का कार्यक्रम परिवीक्षाधीन सदस्य या नियंत्री पदाधिकारी के अनुरोध पर पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (4) सफल सांस्थिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर निबंधक, सहयोग समितियों की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों को स्वतंत्र कार्यालय में कार्य निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जायेगा। इसके पूर्व ये सदस्य अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अध्याय – VI

संपुष्टि

11. **संपुष्टि।** – (1) परिवीक्षा अवधि की संतोषप्रद समाप्ति, अध्याय-IV में निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं अध्याय-V में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषप्रद तरीके से पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी नियुक्ति के सदस्यों की सेवा स्थायी पद की उपलब्धता या लगातार 5 वर्षों से अधिक अवधि से अवधि विस्तारित एवं आगे इन पदों के बने रहने की सम्भावना वाले संवर्गीय पदों पर सम्पुष्टि की जा सकेगी।
- (2) प्रोन्नति से मूल कोटि में नियुक्त सदस्यों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं सेवा स्वच्छ रहने पर सेवा, उप नियम (1) के अधीन वर्णित शर्तों पर सम्पुष्टि की जा सकेगी, परन्तु इस सम्पुष्टि का प्रभाव सीधी भर्ती वाले सदस्यों के साथ वरीयता एवं अगली प्रोन्नति पर नहीं पड़ेगा।

अध्याय – VII

प्रोन्नति

12. **प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया।** –(1) सेवा में उच्चतर कोटि में प्रोन्नति निम्न कोटि में वरीयता एवं योग्यता के आधार पर होगी।
- (2) प्रोन्नति की अनुशंसा के लिए सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति सक्षम प्राधिकार होगी। संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति के लिए सदस्यों का वर्तमान कोटि पद पर सम्पुष्टि होना अनिवार्य होगा तथा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित उक्त कोटि में सेवा की न्यूनतम कालावधि पूरा करना होगा।
- (3) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर उच्चतर कोटि के पदों पर चयन का अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जायेगा। अधिकतम वेतनमान में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में होगा।

अध्याय – VIII

प्रकीर्ण

13. सेवा के लिये चिन्हित पदों में से रिक्त पदों पर अपवादस्वरूप विशेष परिस्थितियों में अन्य सेवा के पदाधिकारियों की पदस्थापना सीमित अवधि के लिए सरकार द्वारा की जा सकेगी।
14. **निरसन और व्यावृत्ति।** – (1) बिहार सहकारिता सेवा नियमावली 1975 उस हद तक एतद् द्वारा निरसित की जाती है जिसका संबंध इस नियमावली से हो।
- (2) इस निरसन के होते हुए भी बिहार सहकारिता सेवा नियमावली-1975 के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी।
15. **कठिनाई का निराकरण।** – इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण राजपत्र में समुचित आदेश प्रकाशित करते हुए कर सकेंगी।
16. इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिये विभाग सक्षम होगा और आवश्यकतानुसार वित्त/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।
17. जिन विषयों या बिंदुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
परशुराम मिश्र,
सरकार के अपर सचिव-सह-
अपर निबंधक,
सहयोग समितियों (मुख्यालय)।

परिशिष्ट—'क'
संवर्ग गठन
(देखें नियम 3)

कोटि क्रम	कोटि	समूह	अवधारित पद	पे बैंड	वेतनमान (रु०)	ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	मूल कोटि	'ख'	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समान वेतनमान के सेवा के लिए स्वीकृत पद	पीबी 2	9300-34800	4800	4 वर्षों की सेवा एवं संपुष्टिकरण के पश्चात 5400 ग्रेड पे के साथ पी बी - 3 में
(ii)	उप निबंधक	'क'	उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समान वेतनमान के सेवा के लिए स्वीकृत पद	पीबी 3	15600-39100	6600	
(iii)	संयुक्त निबंधक	'क'	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समान वेतनमान के सेवा के लिए स्वीकृत पद	पीबी 3	15600-39100	7600	
(iv)	अपर निबंधक	'क'	अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समान वेतनमान के सेवा के लिए स्वीकृत पद	पीबी 4	37400-67000	8700	

टिप्पणी - पे बैंड, वेतनमान एवं ग्रेड पे वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर वेतन पुनरीक्षण संकल्प के अनुसार बदल जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
परशुराम मिश्र,
सरकार के अपर सचिव-सह-
अपर निबंधक,
सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)।

19 अक्टूबर 2011

सं० 1/सह.स्था.(2)नियमावली-03/2006-4680—अधिसूचना सं० 4677, दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के तहत निर्गत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
परशुराम मिश्र,
सरकार के अपर सचिव-सह-
अपर निबंधक,
सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)।

The 19th October 2011

No 1/Sah. Astha.(2) Niyamawali-03/2006-4677—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulation of recruitment and conditions of service in the Bihar Cooperative Administrative Service Cadre :-

CHAPTER- I
GENERAL

1. *Short title, Extent and Commencement.*-(1) These rules may be called the Bihar Cooperative Administrative Service Cadre (Recruitment and service conditions) Rule, 2011.
 - (2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
2. *Definitions.*-In these rules, unless there is any thing repugnant to the subject or the context-
 - (1) 'Commission' means, the Bihar Public Service commission;
 - (2) 'Grade' means, Classification of posts in conformity with pay scales confirmed in the service;
 - (3) 'Registrar Cooperative Societies' means, person appointed to the post of the Registrar, Cooperative Societies, Bihar by the Governor of Bihar under Section- 6 of the Bihar Cooperative Societies Act, 1935 or/ and Registrar of Self Supporting Cooperative Societies under section – 8 of Bihar Self-Supporting Cooperative Societies Act,1996.
 - (4) 'Appendix' means, an appendix annexed to these rules;
 - (5) "Bihar Cooperative Administrative Service" means, Cooperative Service of the State;
 - (6) 'State' means, the State of Bihar;
 - (7) 'Governor' means, the Governor of Bihar;
 - (8) 'year' means, financial year;
 - (9) 'Department' means, the Department of Cooperation, Government of Bihar;
 - (10) "Member" means, person appointed in the Bihar Cooperative Administrative Service;
 - (11) 'Cadre post strength' means, the number of sanctioned Government posts wherein newly created Government posts shall be included from the date of creation and the cadre posts shall be excluded from the date of surrender or kept as dormant;
 - (12) 'Government' means, the Government of Bihar;
 - (13) "Service" means, the Bihar Cooperative Administrative Service.
3. *Constitution of Service and Cadre.*-(1) The cadre shall be constituted consisting of the grades of posts identified and scheduled in the Appendix-'A'
 - (2) The number and structure of Deputation and Ex-Cadre posts under the service shall be constituted by the department on the basis of review and recommendation of the following constituted committee normally after every three years-
 - (a) Principal Secretary/ Secretary
Department of Cooperation -Chairman
 - (b) Officer not below the rank of
Joint Secretary, nominated by
The Department of Industries - Member

- (c) The Registrar, Cooperative Societies, Bihar, Patna. - Member
- (e) Officer not below the rank of Joint Secretary, nominated by The Department of General Administration -Member
- (f) Officer not below the rank of Joint Secretary, nominated by The Finance Commissioner - Member
- (g) Senior Officer in-charge of Gazetted establishment of the Department of Co-operation -Convener-cum-Member.
- (3) (i) While considering the member and structure of cadre posts, the committee shall take care of the fact that the same post is not held under any other service/ cadre or salary benefits on Ex- cadre post is not hindered and shall coordinate the provisions of other service/ cadre rules.
- (ii) Thus constituted cadre comprising the number and structure of posts shall be published by notification in the official gazette by the department.
4. This service shall be a state service and the Department of Cooperation shall be the cadre controlling department of this service. Members of Bihar Cooperative Service (Administrative Wing) appointed and working on the date of commencement of this Rule shall be deemed included in this service automatically.
5. *Deputation of Officers.*—The Government under the provisions of the Bihar Service code as per foreign service condition shall depute the member of the service in cooperative societies, Boards or projects partially or fully controlled by the State or Central government in addition to the identified ex-cadre posts:
 Provided, the earlier identified and notified Ex-cadre post strength shall remain constant and the Government may post /depute on non-identified ex-cadre post as per requirement by keeping earlier identified ex-cadre post vacant or dormant.

CHAPTER- II APPOINTMENT

6. *Appointment.*—(1) The Government shall fix the vacancies in different grades on 1st April every year.
- (2) (a) under sub-rule (1) the 50% of the vacancies in basic grade shall be filled up through appointment by promotion of members of Cooperative Extension officer cadre and the 50 % posts shall be filled up through direct recruitment by the candidates recommended by the Commission on the basis of joint competitive examination.
- Proviso (i) At one time the maximum 50% of the basic grade posts shall be available for appointment by promotion.
- (ii) The calculation of vacancies on the basic grade shall be based on cadre post strength.
- (b) The Vacant posts kept for recruitment on 25% of Vacancies of the basic grade posts through limited competitive examination under Rule -26 of the Bihar Cooperative Service Rule 1975 shall be filled up through

appointment by promotion under this rule and the requisition for direct recruitment sent earlier to the commission under the previous rule shall not be affected by this rule.

- (c) The appointment by promotion under this Sub-rule (2) (a) and (b) shall be based on the recommendation of the departmental promotion Committee constituted under the Chairmanship of the Chairman or the member of the Bihar Public Service Commission.
- (3) All posts of the higher grade different from basic grade shall be filled up as follows by promotion under rules explained in Chapter-VII –
- (i) To the grade of the Deputy Registrar, Cooperative Societies from basic grade;
 - (ii) To the grade of the Joint Registrar, Cooperative Societies from the grade of the Deputy Registrar, Cooperative Societies;
 - (iii) To the grade of the Additional Registrar, Cooperative Societies from the grade of the Joint Registrar, Cooperative Societies.
- (4) The Government shall have the right to decide to keep any post vacant or dormant for any certain period.

7. *Direct recruitment.-*

In these rules, unless there is any provision repugnant, the related provision for direct recruitment in the Bihar Administrative Service shall remain effective for direct recruitment in this service too.

CHAPTER-III
PROBATION

8. *Probation Period.-* (1) The probation period for directly recruited members of the service shall be of two years from the date of appointment; but the probation may be extended up to one year under special circumstances viz; adverse remarks on working is reported by the controlling officer/ Registrar, Cooperative Societies or the institutional and practical training is not completed satisfactorily and the probationers shall be communicated what is lacking in him.

- (2) If any member directly recruited does not fulfill the conditions of the probation period or is reported of adverse remarks in annual confidential report continuously for two years or the service is not found satisfactory, then the decision to terminate service of such member without show cause from the service may be taken by the Governor.
- (3)(a) The probation period for members appointed in the basic grade by promotion from the cooperative Extension Officer Cadre shall be of one year and the probation period may be extended up to six months if the services is not found satisfactory or adverse remarks on departmental working is reported by the controlling officer/ Registrar, Cooperative Societies and the probationers shall be communicated what is lacking in him.
- (b) Such members shall be demoted to previous post held without show cause by the Governor if unsatisfactory or adverse remarks on departmental working is reported by the Registrar, Cooperative Societies during the extended period.
- (4) The period spent on probation shall be counted towards regular service of the member.

CHAPTER-IV
DEPARTMENTAL EXAMINATION

9. *Departmental Examination.*-(1) Members are required to pass the departmental examination fixed by the Government compulsorily for confirmation which shall be conducted by the Central Examination Committee (Board of Revenue), Bihar:

Provided that the members appointed in the service before 01.01.1996 shall be exempted from the departmental examination.

- (2) Exemption from compulsorily passing in the departmental examination may be granted to the members appointed after 31.12.1995 and attaining 50 years of age under conditions provided by the Department of General Administration.
- (3) Members shall prepare a complete record of one certificate case and one Award case which shall be approved by the member of the Board of Revenue before confirmation of the service.
- (4) Being successful in the departmental examination, the second or following annual increment shall be admissible to the members appointed after 31.12.1995.
- (5) The Third or following annual increment shall be admissible to the members after the concurrence of the Member, Board of Revenue in records prepared under sub rule (3) is received and the successful passing of the departmental examination is declared as combined.
- (6) With holding of annual increments under these sub rules shall be non-cumulative and the financial benefits shall be payable with effect from the date of passing in the examination.

CHAPTER-V
TRAINING

10. *Training.*—(1) Members, directly recruited shall have to complete the training fixed by the State Government.

- (2) Members appointed by promotion under Rule 6(2) (a) and (b) shall not require practical training ; provided that in case adverse remark is reported by the Controlling Officer during disposal of works, the Registrar, Co-operative Societies shall arrange six weeks short term practical training and after completion of such training, reported adverse evaluation shall have effect on confirmation and finding such incompetency in duty, members shall be demoted to previous post.
- (3) The District Magistrate of the posting district, on request of the member under probation or his controlling officer, shall arrange programme for four weeks treasury training.
- (4) After successful completion of institutional and practical training, on the recommendation of the Registrar, Cooperative Societies, directly recruited members shall be notified in an independent office for independent disposal of works in the office. Prior to this, these members shall dispose their works under the supervision of controlling officer.

CHAPTER-VI
CONFIRMATION

11. *Confirmation.*- (1) After satisfactory completion of probation period, passing in the departmental examination under chapter IV satisfactory completion of training under

Chapter V and finding the service clear, services of the directly recruited members shall be confirmed on available permanent cadre post or cadre posts having extension for more than 5 years and further possibilities of their continuation.

- (2) The services of the members appointed in the basic grade by promotion shall be confirmed under conditions explained in sub-rule(1) after completion of probation period, passing in the departmental examination and finding the service clear. Provided the seniority with direct recruited members and next promotion shall not be affected by this confirmation.

CHAPTRE- VII

PROMOTION

12. *Selection Procedure for promotion.*—(1) Promotion in the basic and higher grades of posts in the cadre under these rules shall be granted on the basis of seniority in the lower grade and merit.
- (2) The departmental promotion committee constituted by the Government shall be the competent authority for recommendation of promotions. It shall be compulsory for members to have confirmation on present grades of posts for promotion in higher grade of posts and members shall have to complete the minimum time period of service required as fixed by the Government in a particular grade.
- (3) The final decision of selection for promotion on higher grade of posts on the basis of recommendations of the departmental promotion committee shall be taken by the Governor.

CHAPTER-VIII

MISCELLINOUS

13. The Government may post officers of other services on vacant posts of the identified posts of the service till limited period in exceptional special circumstances.
14. *Repeal and savings-* (i) The Bihar Co-operative Service Rules 1975 is hereby repealed to that extent of which these Rules is concerned.
(ii) Not withstanding of this repeal, anything done or any action taken under The Bihar Co-operative Service Rules, 1975 shall be deemed to be done anything or any action taken under these Rules as if it were come in to force on that day.
15. *Removal of difficulty-* The State Government may remove any difficulty by publishing proper order in the official Gazette, if any difficulty is found in enforcing any rule of these rules.
16. The department shall be competent to explain the provision of these rules and if necessary may seek advice from Finance /General Administration Department.
17. The provision of relevant State Government rules/circulars shall remain effective regarding subjects which have not been provisioned in these rules.

By the order of the Governor of Bihar,
PARSHURAM MISHRA,
*Additional Secretary to Government-cum-
Additional Registrar, C.S. (Head Quarter)
Cooperative Department.*

APPENDIX –‘A’
The Cadre Constitution
(Sec Rule-3)

Sl. No.	Grade	Group	Posts included	Pay Band	Pay Scale (Rs.)	Grade Pay	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	Basic Grade	‘B’	Assistant Registrar, Cooperative Societies and sanctioned posts of the service under same pay scale.	PB 2	9300–34800	4800	PB-3 with Grade Pay 5400 After four years of service and after confirmation
(ii)	Deputy Registrar	‘A’	Deputy Registrar Cooperative Societies and sanctioned posts of the service under same pay scale.	PB 3	15600–39100	6600	
(iii)	Joint Registrar	‘A’	Joint Registrar Cooperative Societies and sanctioned posts of the service under same pay scale.	PB 3	15600–39100	7600	
(iv)	Additional Registrar	‘A’	Additional Registrar Cooperative Societies and sanctioned posts of the service under same pay scale.	PB 4	37400–67000	8700	

Note.—Pay Band, Pay Scale and Grade pay will be change according to Finance Department's Pay Revision resolution from time to time.

By the order of the Governor of Bihar,
PARSHURAM MISHRA,
*Additional Secretary to Government-cum-
Additional Registrar, C.S. (Head Quarter)
Cooperative Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 4-571+250-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>